<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 949

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क

949. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में सरकार ने चीन से आयात किए जा रहे कतिपय प्रकार के इस्पात पर कोई पाटन-रोधी शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पहल से घरेलू कंपनियों को किस हद तक सुरक्षा प्राप्त होगी?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): सरकार ने चीन से आयातित कुछ इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगायी है, जिसके ब्यौरे निम्नवत् है:-

क्र.सं.	**उत्पाद**	**ड्यूटी की समाप्ति तिथि**
1	एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद	04.06.2020
2	शीर्ष 7219 के तहत आनेवाले स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	10.12.2020
3.	क्वायल्स में अलॉय या गैर-अलॉय इस्पात का हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद	07.08.2021
4	सभी चौड़े और मोटे लोहे या गैर-अलॉय इस्पात का कोल्ड-रोल्ड/कोल्ड रिड्यूज्ड फ्लैट इस्पात उत्पाद	16.08.2021
5	अलॉय या नॉन-अलॉय इस्पात का वायर रॉड	08.10.2022
6	अलॉय/गैर-अलॉय इस्पात का कलर कोटिड/प्री-पेंटेड फ्लैट उत्पाद	16.10.2022
7	स्टील व्हील	12.09.2023

स्रोत: व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

(ग): विदेशी निर्यातकों द्वारा उत्पादों की डंपिंग को रोकन के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती हैं। डंपिंग अनुचित व्यापार और प्रतिस्पर्धी परिस्थिति को कम करता है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी का आरोपण घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जो निश्चित रूप से अनुचित व्यापार के आघात को झेल रहा था। इससे घेरलू उद्योग को बाजार में समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी।

*****